

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

जौनपुर।

पत्र संख्या: एफ0एस0 / उ0शि0-नवी0 / 2020
सेवा में,

दिनांक: दिसम्बर ०७, 2020

प्रबन्धक/प्राचार्य,
एम0यू0एस0 पब्लिक स्कूल,
लखौवा, जौनपुर।


विषय:- एम0यू0एस0 पब्लिक स्कूल, लखौवा, जौनपुर का अग्निसुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर निर्गत प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना।

संदर्भ:- आपके पत्रांक-शून्य दिनांक: 05-12-2020 के संदर्भ में।

उपरोक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या: एफएस/मा0शि0-एनओसी(जौनपुर)/2018 दिनांक 14-02-2018 के द्वारा फायर एक्सटिग्यूशर्स की कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। भूतल, प्रथम व द्वितीय तल पर निर्मित विद्यालय भवन में अधिष्ठापित फायर एक्सटिग्यूशर्स का निरीक्षण कराया गया तो कार्यशील दशा में पाये गये।


उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर **एम0यू0एस0 पब्लिक स्कूल, लखौवा, जौनपुर** का निर्गत अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है-

1. विद्यालय भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेन्स शैड्यूल बनाया जाय तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमि प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाय।
3. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
4. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।
5. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाय तथा इमरजेन्सी इवेक्यूवेशन प्लान बनाया जाय। इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाय।
6. वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग स भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी की होगी।
8. विद्यालय भवन में विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा।


C. F. Q.

9. विद्यालय भवन में एन0बी0सी0-2016 के मानकों के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किया जाना वाछनीय होगा।
10. विद्यालय भवन के जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है उन कमरों में 45 से अधिक छात्र/छात्राओं को न बैठाया जाय।
11. प्रबन्धन द्वारा स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशर्स का प्रत्येक वर्ष टेस्टिंग रिफिलिंग कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर अग्निशमन विभाग से निरीक्षण परीक्षण कराया जाना वाछनीय होगा।
12. उक्त शर्तों/निर्देशों का उल्लंघन होने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः आवेदक को इस शर्त पर पूर्व में निर्गत अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है कि, उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतया पालन कर विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरण/सिस्टम का प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर व विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर, प्राप्त प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक होगा। प्राथमिक अग्निशमन उपकरण/सिस्टम के अकार्यशील पाये जाने व वार्षिक नवीनीकरण न कराये जाने पर, यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की स्वयं होगी।


(ए0 पी0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जौनपुर।